झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद   संख्या....11........   वर्ष 20.22....

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्रीमती मालती टुडु, ग्राम-खिजुरिया, पो0- टी0के0ग्राम, फतेहपुर, जामताड़ा।

DISPOSED
09/03/22.

बनाम

प्रतिवादी DSO, जामताड़ा।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
04042022	आयोग द्वारा शिकायत प्राप्ति हेतु जारी किये गये व्हाटसएट्प नं0–9142622194 पर शिकायतकर्ता **श्रीमती मालती टुडू (राशन कार्ड सं0–202003563323), पति–सेनापति मूर्मू, ग्राम–खिजुरिया, पो0–टी.के. ग्राम, थाना–फतेहपुर, जामताड़ा, दूरभाष सं0–9955003365** का शिकायत–पत्र आयोग को प्राप्त हुआ, जिसमे उन्होंने जन वितरण प्रणाली विक्रेता, महिला विकास के अध्यक्ष द्वारा माह जून–2016 से अब तक का राशन नहीं दिये जाने का उल्लेख करते हुए इसकी शिकायत आयोग के समक्ष दर्ज की गई है। उक्त मामले में आयोग के पत्रांक–WA / 127 / 2021 दिनांक–21.12.2021 द्वारा जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जामताड़ा से कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया था। जिसका अनुपालन प्रतिवेदन निर्धारित समय–सीमा एक माह बाद भी अप्राप्त रहा। आयोग द्वारा इस मामले को गम्भीरता से लेते हुए इस पर सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–22.02.2022 को निर्धारित की जाती है। उक्त तिथि को सुनवाई के दौरान स्वयं अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जामताड़ा को नोटिस निर्गत किया जाय। सुनवाई के दौरान नजदीकी प्रज्ञा केन्द्र से ऑनलाईन V.C. के माध्यम से उपस्थित रहने हेतु शिकायतकर्ता को सूचित किया जाय। प्रतिलिपि जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जामताड़ा को सूचनार्थ प्रेषित की जाय। 3/4/22 शिकायतकर्त्ता Whatsapp Video call के माध्यम से उपस्थित हैं। उन्हें सूचित कर दिया गया है। 14/4/22	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
22-02-22	अभिलेख उपस्थापित। प्रतिवादी पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जामताड़ा टेलीफोन के माध्यम से उपस्थित रहे। शिकायतकर्त्ता श्रीमती मालती टुडु से सीधा समपर्क नहीं हो पाया। उनका शिकायत आवेदन बनाने में मदद करने वाले शिक्षक श्री मोहम्मद नासिरूद्दीन से टेलीफोन (मो0 नं0–8757799032) के माध्यम से वार्ता हुई। आवेदन बनाने में मदद करने वाले शिक्षक ने जानकारी दी कि शिकायत करने के बाद श्रीमती मालती टुडु को 4 माह का राशन दिया गया है। शिक्षक के माध्यम से ही पता चला कि आज दिनांक–22.12.2022 को शिकायतकर्त्ता को जनता दरबार में बुलाया गया है। क्योंकि मालती टुडु के पास अपना मोबाइल नहीं है, तो शिक्षक के माध्यम से ही वार्ता हुई है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जामताड़ा के पत्रांक–112 दिनांक–22.02.2022 द्वारा प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, फतेहपुर का प्रतिवेदन आयोग को प्राप्त हुआ, जिसके साथ शिकायतकर्त्ता श्रीमती मालती टुडु का बयान संलग्न है। उक्त बयान में उल्लेखित है कि ''प्रत्येक माह OTP से वितरण करते हुए अनाज मिल जाता है''। यह विरोधाभाषी प्रतित होता है, चूँकि शिकायतकर्त्ता द्वारा वर्ष 2016 से राशन नहीं मिलने की शिकायत की गयी थी। अतः जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जामताड़ा को निदेशित किया गया कि इस संबंध में जाँच कर पुनः दिनांक– 04.03.2022 तक रिपोर्ट आयोग को समर्पित किया जाय। अगर शिकायतकर्त्ता को वर्ष 2016 से अनाज नहीं मिला है तो उस संबंध में भी विस्तृत जाँच कर शिकायतकर्त्ता को उसे उसका हक दिलाया जाय। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–09.03.2022 को निर्धारित की जाती है। उभय पक्ष को उक्त तिथि को सुनवाई के दौरान ऑनलाईन माध्यम से उपस्थित रहने हेतु नोटिस निर्गत किया जाय। 22.2.22 (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। 24/2/2022 (हलधर महतो) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
09.03.2022	**आज दिनांक–09.03.2022 को वाद सं0–11/2022 के मामले में सुनवाई हेतु अभिलेख उपस्थापित की गईः–** अपीलकर्ता श्रीमती मालती टुडू, जामताड़ा अनुपस्थित रहीं। प्रतिवादी पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जामताड़ा अनुपस्थित रहें। अपीलकर्ता से दुरभाष के माध्यम से संर्पक करने का प्रयास कि गया किन्तु वों बात करने को तैयार नहीं है। प्रतिवादी पक्ष जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जामताड़ा का पत्रांक–155 दिनांक–04.03.2022 को आयोग को प्राप्त है जिसमें उनके द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–सह–प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी से जाँच कराये जाने के क्रम में शिकायकर्ता द्वारा खाद्यान्न का उठाव प्रत्येक माह किये जाने का उल्लेख किया गया है। यह भी उल्लेखित है कि शिकायकर्ता द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा शिकायत नहीं की गई है और शिकायत किसने किया है उन्हें जानकारी नहीं है। उल्लेखित तथ्य से प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता को कोई शिकायत नहीं है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। 9.3.2022 **(डॉ0 रंजना कुमारी)** सदस्य झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हलधर महतो)** सदस्य झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	